



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042020-219002
CG-DL-E-03042020-219002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1105]
No. 1105]

नई ददल्ली, िरिार, अप्रैल 3, 2020/चैत्र 14, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 2020/CHAITRA 14, 1942

गह म्हालय

(िमूमू कश्मीर और लद्दाख काण िभाग)

आदेि

नई ददल्ली, 3 अप्रैल, 2020

का.आ. 1245(अ).—केेंद्रीय सरकार, िमूमू-कश्मीर पुनगठन अजधजनयम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त िजियोें और इस जनमत उसे समथय बनाने िाली अन्य सभी िजियोें का प्रयोग करते हुए, िमूमू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जनमूलखत आदेि करती है, अथापत्:-

- (1) इस आदेि का संक्षत नाम िमूमू-कश्मीर पुनगठन (राज्य िरिार, 2020 है। िधयोें का अनकू लन) दस) यह तुरंत प्रित होगा।
- इस आदेि के िनयन के िलए साधारण खंड अजधजनयम, 1897 िैसे ही लागू होगा, िैसे िह भारत के राज्यक्षेत्र में प्रित िधयोें के िनयन के िलए लागू होता है।
- तत्काल प्रभाि से इस आदेि की अनुसूची में उल्लखत अजधजनयम को, िब तक सक्षम िधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनरसत या संिोधत नहीं कर दद्या िाता है, इस आदेि की अनुसूची द्वारा जनदेजित अनकू लनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभािी होगा।

**1. जम्मू कश्मीर प्रसन्निल सिका (निकेकेंद्रीकरण और भती) अधनयम
(2010 का अधनयम य 16)**

धारा 3 क. – (i) उपधारा (1) में :- सख ाक

(क) "स्तर-4 (25500) से अनजधक िेतनमान िाल" िब्दों का लोप दकया िायेगा और

"अजधिसी समझा िायेगा" के स्थान पर "अजधिसी होगा"

रखा िायेगा; और (ii) उपधारा (2) में :-

(क) "अजधिसी समझा िायेगा" के स्थान पर "अजधिसी होगा" रखें; और

(ख) खंड (क) में "से िा की है" के स्थान पर "से िा की होगी" रखें।

धारा 5 क. – "स्तर-4 (25500) से अजधक के िेतन िाले दकसी पद पर" के स्थान

पर "दकसी पद पर" रखें धारा 8. – खंड (ii) के पहले िोड़ें :-

"(i) जम्मू- ं राज्य क्षेत्र का अजधिसी
कश्मीर सघ है"

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अिय कु मार भल्ला, गृह
सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

ORDER

New Delhi, the 3rd April, 2020

S.O. 1245(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Jammu and Kashmir, namely:—

1. (1) This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Second Order, 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in the territory of India.

3. With immediate effect, the Act mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule to this Order.

1. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL SERVICES (DECENTRALIZATION AND RECRUITMENT) ACT

(Act No.XVI of 2010)

Section 3A. — (i) In sub-section (1): —

(a) omit –deemed to be and –carrying a pay scale of not more than Level-4 (25500); and

(ii) in sub-section (2) :-

(a) omit –deemed to be; and

(b) in clause (a), for –have served substitute –shall have served

Section 5A. — for –a post carrying a pay scale of not more than Level-4 (25500) substitute –any post

Section 8. — before clause (ii), add:-

“(i) is a domicile of Union territory of Jammu and Kashmir”

[F. No. 11014/05/2014-KI]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.